प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6860/2006

याचिकाकर्ता - देशराज चौधरी

बनाम

उत्तरवादीगण - दीपक कुमार सराफ

आदेश हेतु दिनांक 21.03.2007 को सुचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6860/2006

याचिकाकर्ता - देशराज चौधरी, पिता स्वर्गीय बाबूराम चौधरी, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी लिंक रोड, बिलासपुर, वर्तमान निवास ग्राम अभेपुर, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)।

प्रतिवादी

बनाम

उत्तरवादीगण - दीपक कुमार सराफ, पिता मोती लाल सराफ, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी लिंक रोड, बिलासपुर (छ.ग.)।

वादी

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री एस. आई. अली, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता — उत्तरवादीगण की ओर से।

.....

आदेश

(दिनांक 21 मार्च, 2007 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया है।

(1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने सिविल वाद क्रमांक 4-A/90 (दीपक कुमार सराफ बनाम देशराज चौधरी) में प्रथम सिविल जज वर्ग I बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 9.11.2006 (अनुलग्नक पी./8) के आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके

द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही स्थगित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

(2) प्रतिवादी/वादी ने दिनांक 15.4.1990 को प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर के समक्ष सिविल वाद क्रमांक 4-क/90 प्रस्तुत किया, जिसमें किराया, हर्जाना तथा वादग्रस्त परिसर से याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की बेदखली की मांग की गई थी। यह वाद छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत इस आधार पर दायर किया गया कि वादी को मकान की सद्भाविक आवश्यकता है।

(3) प्रतिवादी के पिता ने दिनांक 15.1.1990 को चतुर्थ सिविल न्यायाधीश, वर्ग-II, बिलासपुर के समक्ष एक स्वत्व वाद दायर किया, जिसे बाद में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर में अंतरित कर सिविल वाद क्रमांक 6-क/94 के रूप में पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया गया।

(4) वर्तमान याचिकाकर्ता ने सिविल वाद क्रमांक 4-क/90 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें स्वत्व वाद लंबित होने के कारण कार्यवाही स्थगित करने की प्रार्थना की गई। उक्त आवेदन दिनांक 12.10.1992 को स्वीकार कर लिया गया तथा 1961 के अधिनियम के अंतर्गत चल रही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा दायर वाद क्रमांक 6-क/94 का निर्णय दिनांक 15.7.2005 (अनुलग्नक पी./4) को प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर द्वारा पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को वादग्रस्त मकान का स्वामी घोषित किया गया तथा नगर निगम को अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) याचिकाकर्ता के पिता ने उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध सिविल अपील क्रमांक 3-क/2005, ज़िला न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त अपील दिनांक 28.2.2006 (अनुलग्नक पी./6) के आदेश द्वारा स्वीकार की गई तथा याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्वत्व हेतु वाद निरस्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील क्रमांक 232/2006 प्रस्तुत की है।

(6) दिनांक 28.2.2006 को जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्वामित्व वाद निरस्त किया गया, के पश्चात याचिकाकर्ता ने सिविल वाद क्रमांक 4-क/90 में पुनः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की कि द्वितीय अपील के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की जाए।

(7) माननीय सिविल न्यायाधीश ने समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि दिनांक 28.2.2006 को ज़िला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश से याचिकाकर्ता का स्वत्व हेतु वाद निरस्त हो चुका है, तथा द्वितीय अपील क्रमांक 232/2006 में उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, यह पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन विचारणीय नहीं है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने पुनः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा

10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सिविल वाद क्रमांक 4-क/90 की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की।

(8) मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना।

(9) निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्वत्व हेतु वाद को ज़िला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3-क/2005 में दिनांक 28.2.2006 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बेदखली वाद की कार्यवाही तब तक जारी रहेगी, जब तक कि द्वितीय अपील में दिनांक 28.2.2006 के आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर स्थगन का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता। दिनांक 9.11.2006 के आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि, अवैधता या अधिकार-क्षेत्र संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षणीय अधिकार का प्रयोग करते समय यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से विरत रहेगा, सिवाय उन मामलों के जहां अभिलेख पर स्पष्ट रूप से विकृति, अवैधता, अनियमितता या अधिकार-क्षेत्र संबंधी त्रुटि विद्यमान हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

(10) परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**